भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1034

उत्तर देने की तारीख : 13.12.2022

एडीआईपी योजना के अंतर्गत सहायता

1034. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सहायक उपकरण और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडीआईपी) योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायता और उपकरण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव गुजरात के भावनगर और बोटाद जिले में विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): जी हां, महोदय। भावनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात के अंतर्गत भावनगर और बोटाद जिलों में सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप) के तहत दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए मंत्रालय में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख): इस योजना के अंतर्गत सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए शिविरों का आयोजन मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के माध्यम से तथा जिला प्रशासन के समन्वय से जिलों में लाभार्थियों की पहचान/मूल्यांकन करने के बाद और सम्बंधित माननीय सांसद के परामर्श से तय की गई सुविधाजनक तारीख पर किया जाता है। मूल्यांकन शिविर के आयोजन के लिए तारीखें शीघ्र प्रदान करने के लिए भावनगर और बोटाद जिलों के जिला कलेक्टरों से पहले ही संपर्क किया जा चूका है।

****